

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 431] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 1972/आश्विन 5, 1894

No. 431] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 1972/ASVINA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 27th September 1972

S.O. 629(E)/15/IDRA/72.—Whereas the industrial undertaking known as the Arthur Butler and Company (Mezufferpore) Limited is engaged in the scheduled industry, namely, the transportation industry;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down and the production has now come to a standstill consequent upon the closure of the said industrial undertaking by the management;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the closure of the said industrial undertaking and to ensure that production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman

1. Shri S. Majumdar, Industrial Adviser, D.G.T.D., New Delhi.

Members

2. Shri R. N. Choudhari, Industrial Adviser (Engineering), Industries Department, Government of Bihar, Patna.
 3. Shri S. K. Chakravarty, Manager (Tech.), Industrial Reconstruction Corporation of India, Calcutta.
2. The said body shall submit its report within six weeks of the date of this Order.

[No. P. 25/14/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1972

का० प्रा० 629(अ)/15/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मुजफ्फरपुर) लिमिटेड नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योग अर्थात् परिवहन उद्योग में जगा हुआ है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह आया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जा रही है और प्रबन्ध मण्डल द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम को बन्द कर दिए जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन अब शून्य हो गया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त अनुसूचित उद्योग के उत्पादन में ऐसी कमी न हो जिससे लोक हित को हानि पहुँचे, अत्यावश्यक उपाय चरने समीचीन है;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 (1) अर्थात् शक्तिशाली का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले की परिस्थितियों का पूरी तरह से अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का एक निकाय नियुक्त करती है :

आदेश

1. श्री एस० मजुमदार, औद्योगिक सलाहकार, डी० जी० टी० डी० नई दिल्ली ।

सदस्य

2. श्री आर० एन० चौधरी, औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी), उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
3. श्री एस० के० चक्रवर्ती, प्रबन्धक (तक०) भारतीय औद्योगिक पुनर्गठन निगम, कलकत्ता ।
2. उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

[स० फा० 25(14)/72-सी० नू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

